रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2017, शनिवार/ चैत्र 5—चैत्र 11, 1939

No. 9] NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2017, SATURDAY/ CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ-** 1.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

   2. ये सरकारी राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में,-

   (i) नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) अनुसूची में ;-

   (क) स्तम्भ (4) के अधीन, शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा।, अर्थात

   "वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) स्तम्भ (4) के अधीन, प्रविष्टयों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2"

(ग) स्तम्भ (10) के अधीन, प्रविष्टि "ग्रेड वेतनमान 1800/- रु. या ग्रेड वेतन 1800 रु." जहां भी वें विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(घ) स्तम्भ (11) के अधीन, दो स्थानों पर विद्यमान प्रविष्टि "ग्रेड वेतनमान 1800/- रु. के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/एए 'ए' एंड एए 'बी'/सी/एम/01/268/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूख्य नियमों को अधिसूचना संख्या का.नि.आ. सं 12 दिनांक 15 फरवरी, 2013 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) **Short Title and commencement.-** These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules 2013,-

(i) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" and "pay band grade pay or pay scale", wherever they occur, the words "Level in the Pay Matrix" shall respectively be substituted;

(ii) in the Schedule,-

(a) in column (4), for the heading the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix";

(b) under column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2 in the pay matrix",

(c) under column (10), for the entry "Grade pay of Rs. 1800" or"grade pay of Rs.1800", wherever they occur, the entry "Level-1 in the pay matrix" shall respectively be substituted;

(d) under column (11), for the entry "Grade pay of Rs.1800" occurring at two places, the entry "Level-1 in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. DHRD/76257/RRs/AA 'A' & AA 'B'/C/M/01/268/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O.12, dated 15th February, 2013.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ-** 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।

   2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 में,-

   (i) नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) अनुसूची में ;-

      (क) स्तम्भ (4) में शीर्षक के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शीर्षक रखा जाएगा।

      (ख) स्तम्भ (4) के अधीन, प्रविष्टियों के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

      (ग) स्तम्भ (10) के अधीन, प्रविष्टि "ग्रेड वेतनमान 1900/- रु." के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2" को रखा जाएगा;

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/एए 'ए' एंड एए 'बी'/सी/एम/01/268/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- मुख्य नियमों को अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 59 दिनांक 27 जुलाई , 2011 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.R.O. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C'(Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) **Short Title and commencement.-** These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011,-

   (i) in rule 2, for the words "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale" and "pay band and grade pay or pay scale" wherever they occur, the words "Level in the Pay Matrix" shall respectively be substituted;

   (ii) in the Schedule,-

      (a) in column (4), for the heading, the heading "Level in the Pay matrix" shall be substituted;

      (b) under column (4), for the entry, the entry "Level-4 in the Pay Matrix" shall be substituted;

      (c) under column (10), for the entry "Grade pay of Rs. 1900", the entry "Level-2 in the Pay matrix" shall be substituted;

[F. No.DHRD/76257/RRs/AA 'A' & AA 'B'/C/M/01/268/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O.59 dated 27th July 2011.